The Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Bill, 2001

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

"सिगरेटों और तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन का प्रतिषिद्ध करने और व्यापार तथा वाणिज्य तथा उनके उत्पादन, प्रदाय और वितरण के विनियमन के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय इस विधेयक की थोड़ी सी पृष्ठभूमि और उसके उद्देश्यों के बारे में मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहूंगी कि इस प्रस्ताव पर चर्चा हो और इसे पारित किया जाए। सभापति जी, जहां तक पृष्ठभूमि का संबंध है, सबसे पहले सन् 1995 में दसवीं लोक सभा की सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी ने भारत की संसद के सामने यह अनुशंसा की।

[उपसभापति महोदया पीठासीन हुईं]

उपसभापति महोदया, अभी-अभी एक विधेयक मैंने चर्चा के लिए सदन के सामने रखा है। मैं चाह रही हूं कि बहुत संक्षेप में इस विधेयक की पृष्ठभूमि के बारे में बतला दूं और कौन से उद्देश्य इस विधेयक से पूरे होने हैं उसके बारे मे थोड़ा बतला दूं। पृष्ठभूमि के तौर पर मैं यह बतलाना चाह रही थी कि दसवीं लोक सभा की सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी ने सबसे पहले सन् 1995 में भारत की संसद को यह अनुशंसा की कि कोई भी एक विधेयक जिसमें तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों को प्रतिबंधित करने की व्यवस्था हो उनके निर्माण और उनके व्यवसाय, उनके बेचने पर किसी तरह के प्रतिबंध लगाए जाएं, ऐसा विधेयक भारत की संसद को लाना चाहिए। उस अनुशंसा को सामने रखते हुए 7 मार्च, 2001 को इसी सदन में सरकार ने एक विधेयक प्रस्तुत किया। जैसा कि आप जानती हैं कि अपने यहां स्टैंडिंग कमेटीज की, संसदीय समितियों की व्यवस्था है। तो 12 मार्च की वह विधेयक संसदीय समिति के सामने रख दिया गया और दिसम्बर, 2001 में उस संसदीय समिति ने उस पूरे बिल पर विचार करने के बाद अपनी सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट सदन के सामने रखी। आज जो विधेयक मैं आपके सामने रख रही हूं वह उन संसदीय समितियों की सिफ़ारिशों का समावेश करते हुए संशोधित विधेयक रख रही हूं। जहां तक उद्देश्यों का सवाल है, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जब भी स्वास्थ्य को खराब करने वाली वस्तुओं की सूची बनती है, विशेषकर पब्लिक हैल्थ को ध्यान में रख कर सूची बनती है तो तंबाकू का सेवन बहुत अग्रणी रूप में रखा जाता है। अगर मैं केवल भारत के आंकड़े दूं तो लगभग आठ लाख लोगों की मौत प्रति वर्ष तंबाकू के विभिन्न उत्पादों का सेवन करने से होती है। एक आंकड़ा यह

भी पाया गया है कि तंबाकू से होने वाली बीमारियों के इलाज पर जो पैसा खर्च होता है या प्रोडेक्टिविटी, उत्पादकता जो कम होती है उससे कुल जमा 13 हजार 500 करोड़ रुपये की आमदनी का नुकसान हिन्दुस्तान में सरकार को होता है।

उपसभापति महोदया, आप जानती हैं कि बाकी जो चीजें हैं, उनका सेवन जब व्यक्ति करता है तो रोग उसी को आता है, उसका कष्ट वही उठाता है, स्वास्थ्य खराब सेवन करने वाले का होता है। लेकिन तंबाकू का एक उत्पाद सिगरेट ऐसा भी है जो सामने बैठे व्यक्ति को बिना किसी दोष के रोग देता है, बिना किसी गुनाह के उसका स्वास्थ्य खराब करता है। बहुत से लोग हैं जो स्वयं सिगरेट नहीं पीते हैं, लेकिन अगर उनके सामने बैठकर कोई सिगरेट पी रहा है तो उसका धुआं वे निगलते हैं, उससे उनके फेफड़े भी खराब होते हैं।

THE DEPUTY CHAIRMAN : They are passive sufferers.

श्रीमती सुषमा स्वराज : जी, बिल्कुल पैसिव सफरर और बाद में वे एक्टिव रोगी हो जाते हैं। सफरर पैसिव रहते हैं और रोगी सक्रिय हो जाते हैं। वे बेगुनाह होते हैं, उनका अपना कोई दोष नहीं होता है। उन्होंने स्वयं में यह जहमत पाली नहीं, स्वयं सिगरेट पी नहीं, लेकिन सामने बैठकर धुआं निगलने की उनकी मजबूरी होती है। इसी तरह से तंबाकू के जो बाकी उत्पाद हैं, अगर सिगरेट फेफड़ों का कैंसर करता है तो बाकी तंबाकू के उत्पाद गले का कैंसर करते हैं, जुबान का कैंसर करते हैं, मुंह का कैंसर करते हैं, होठ का कैंसर करते हैं। इस तरह ये भयंकर बीमारियां तंबाकू के उत्पादों के कारण होती हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब हम उनका विज्ञापन देते है तो हम उन उत्पादों को ग्लोरीफाई करते हैं। हम बाकी लोगों को उकसाते हैं कि आप इसको खाइये, आप इसका सेवन करिए और इसका सेवन करके स्वास्थ्य खराब होता है, लेकिन विज्ञापन जाता है। आपने खासतौर पर देखा होगा कि तंबाकू उत्पाद की जो कम्पनियां हैं, खासकर सिगरेट कम्पनियां, से स्पोर्ट्स को स्पोंसर करती है। जितनी बड़ी-बड़ी स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, वहां सिगरेट के माध्यम से, तंबाकू उत्पादों के माध्यम से उनका विज्ञापन किया जाता है। लाखों लोग स्टेडियम में बैठकर, खासकर कच्ची उम्र के बच्चे जब उसको देखते हैं, वे उकसाते हैं, उनको लगता है कि यह बहुत अच्छी चीज है, इसको खाकर मस्ती आती है, नशा आता है, उनको दूसरी दुनिया दिखने लगती है, वे सातवें आसमान पर पहुचते हैं, ऐसा उनको सिगरेट पीकर लगता है। इन तमाम चीजों के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्तर पर पूरे विश्व में चर्चा हुई, चिंता प्रकट की गई, प्रस्ताव पारित हुये, भारत ने स्वयं उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए. भारत सिगनेटरी बना और पूरे विश्व में एक अभियान चला, एंटी टुबैको कैम्पेन। तंबाकू और तंबाकू के उत्पादों के विरुद्ध चलाया जाने वाला एक अभियान। मुझे लगता है कि उसी के फलस्वरूप इतना बड़ा अभियान जन-जागरण का, लोगों को यह चेतावनी देने का कि यह उत्पाद आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह बिल, यह विधेयक हम आपके सामने लाये हैं।

उपसभापति महोदया, जैसा मैंने कहा था कि संसदीय समिति ने कुछ संशोधन इसमें सुझाये हैं और संशोधित बिल हम आपके सामने लाये हैं। शायद संशोधन संख्या में 20-30 हों, लेकिन प्रमुख तौर पर इसमें जो संशोधन आ रहे हैं, जिनसे मुझे लगता है कि यह बिल बेहतर स्वरूप में आपके सामने आ रहा है, उनमें से पहला प्रमुख संशोधन यह है कि पहले यह बिल केवल सिगरेट तक सीमित था, तंबाकू उत्पाद केवल कुछ राज्यों के लिए थे, अब इस बिल में ये पूरे के पूरे भारत में, समूचे भारत पर लागू होगा और सिगरेट और तंबाकू के उत्पाद, तंबाकू के बाकी उत्पाद भी इसमें शामिल होंगे। यह इसमें एक प्रमुख संशोधन आ रहा है। दूसरा संशोधन इसमें यह आ रहा है कि सिगरेट के ऊपर जो चेतावनी के रूप में लिखा जाता था।--''सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है'' ''सिगरेट स्मोकिंग इज़ इनजूरियस टू हैल्थ''--वह अंग्रेजी या हिन्दी में लिखने की व्यवस्था थी। संसदीय समिति को यह लगा कि हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते। इसी प्रकार प्रादेशिक भाषाओं के लोग हिन्दी पढ़ना नहीं जानते। उनके लिए इस प्रकार की लिखी जाने वाली चेतावनी बेमानी है इसलिए प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे लिखा जाना चाहिए ताकि बाकी प्रदेशों के लोग भी इसे पढ़ सकें कि ''सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है''। फिर कुछ लोगों ने कहा कि कई लोग तो निरक्षर होते हैं जो प्रादेशिक भाषाएं भी नहीं पढ़ सकते इसलिए यह चेतावनी किसी न किसी चित्र के माध्यम से भी आनी चाहिए ताकि लोग इसे समझ सकें। इस तरह से बड़े प्रमुख संशोधन इसके अंदर आए हैं। एक संशोधन यह आया था कि स्कूलों के पांच सौ गज के इर्द-गिर्द इसका बेचना बंद होना चाहिए। जब कैबीनेट में इसको अप्रूवल के लिए ले जाया गया तो बाकी सारे के सारे संशोधन मान लिए गये। पांच सौ यार्ड को कम करके सौ यार्ड रखा गया है क्योंकि हमारे यहां जो महानगर हैं, खास तौर पर जो म्यूनिसिपल कमेटी के एरियाज़ हैं, वहां बहुत नज़दीक-नज़दीक स्कूल हैं इसलिए यह बहुत अव्यावहारिक चीज़ हो जाती जिसकी अनुपालना नहीं हो पाती। जितना संशोधन नहीं माना गया, थोड़ा उसमें परिवर्तन और किया गया, यानी संशोधन में संशोधन किया गया कि पांच सौ गज की जगह उसको सौ गज रखा गया है, बाकी सारे संशोधन जो संसदीय समिति ने काफी विचार विमर्श के बाद सरकार को दिये थे, उन सभी संशोधनों का समावेश करके मैं यह बिल नये रूप में आपके सामने लायी हूं और आपके माध्यम से सदन के सभी साथियों से यह प्रार्थना करना चाहती हूं कि इसे चर्चा करके आज ही पारित करने का प्रस्ताव करें। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं।

The question was proposed.

उपसभापति: कुछ लोगों का ख्याल है कि इतना अच्छा बिल आप लायी हैं इसलिए बिना चर्चा के ही इसे पास पर दिया जाए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं इसके लिए आपकी बहुत धन्यवादी होउंगी।

उपसभापति: बहुत से लोग कह रहे हैं कि बिना चर्चा के इसे अगर हम पास करें.....

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी (मध्य प्रदेश): मैडम, सिर्फ एक बात मैं अपनी जानकारी के लिए जानना चाहता हूं कि अभी हमारी--इस वक्त तो मैं ऑफिशियल लैंगुएज इस्तेमाल करुंगा, वैसे मेरी बड़ी बहन हैं--मंत्री महोदया ने कहा कि स्कूलों के इतने दायरे में सिगरेट पर पाबंदी लगनी चाहिए और डिब्बों पर लिखा रहता है कि यह बहुत हानिकारक है--मैं यह कहना चाहता हूं कि जब यह हानिकारक है और इस पर पाबंदी लगनी चाहिए तो इतने एरिया में ही क्यों लगनी चाहिए, यह जहर की फैक्टरी ही क्यों नहीं बंद होनी चाहिए? यह जहर की फैक्टरी आखिर खोली ही क्यों गयी है और इसके लिए संशोधन की क्या आवश्यकता है? यह जहर की फैक्टरी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक तरफ इसे जहर माना जा रहा है और दूसरी तरफ किसी न किसी तरह से इसे निर्यात के लिए रखा भी जा रहा है, यह बात मेरी समझ के बाहर है। मैं इसको अपनी बड़ी बहन से जानना चाहूंगा, मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा।

श्रीमति सुषमा स्वराज: मैं मोहतरम भाई आज़मी जी से कहना चाहूंगी कि कदम-बा-कदम हम बढ़ रहे हैं। जितना बढ़ रहे हैं, उतने का स्वागत करिए। फिर और बढ़ेंगे।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will tell you one thing. There is no controversy about this Bill. If any suggestions are there—I have got the names with me—and if anybody wants to make them, I would request him to give the same instead of making full historic *bhasan* on the injurious effects of tobacco. If you could give any good suggestions, it will be better; then, we can pass it. Why I am saying this is because we all know the harmful effects of tobacco.

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र): मैडम,...

उपसभापति: फिर मैं लाइन से ले लूं?

श्री सतीश प्रधान: सिर्फ एक दो प्वाइंट्स सामने लाना चाहूंगा, कुछ अधिक नहीं कहना चाहता हूं।

डा. कुमकुम राय (बिहार): फिर सभी लोग बोलना चाहेंगे।

उपसभापति: सभी लोग इतना नहीं बोलना चाह रहे हैं। मेरे पास बहुत नाम भी नहीं हैं, कुछ ही नाम हैं। सवाल बोलने का नहीं है।...(व्यवधान)...अजय मारू जी, आप कुछ कहना चाहेंगे। केवल मंत्री जी को सजैशन दे दीजिए, अगर कुछ और भी आपके ख्याल में किया जाना चाहिए क्योंकि हम सबको मालूम है कि सिगरेट पीना मना है चाहे बाहर जाकर आप पी भी रहें होंगे।

श्री अजय मारू (झारखंड): मैं तो नहीं पीता हूं। ...(व्यवधान)...धन्यवाद महोदया, आपने इसमें केवल अपने सुझाव देने कि लिए कहा है, वैसे तो मुझे काफी कुछ बोलना था। आज रांची शहर से--मुझे नही पता था कि यह विधेयक आने वाला है--कम से कम 15-20 दुकानदार मेरे पास मिलने कि लिए आए। रांची शहर से चलकर वे यहां आए हैं। उनका सिर्फ यह कहना था कि रांची एक छोटा शहर है और उसमें जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके आस पास सौ गज के जो दायरे की बात को रखा गया है, अगर वह लागू हो जाएगा तो अधिकांश पान की दुकानें बंद हो जाएंगी। पश्चिमी बंगाल ने यह दस मीटर का दायरा रखा है। मैं इस बात से सहमत हूं कि 18 वर्ष से कम की आयु वाला जो क्लॉज है, वह ठीक है लेकिन अगर इसमें कुछ हो सके तो इसे देखना चाहिए।

दूसरा, पहले ''नो स्मोकिंग ज़ोन'' होते थे लेकिन इस बिल के माध्यम से अब ''स्मोकिंग ज़ोन'' का प्रावधान रखा गया है। तो ''स्मोकिंग ज़ोन'' में यह चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि वह ''स्मोकिंग ज़ोन'' छोटा ही बने, यह नहीं हो कि रेस्टोरेंट्स, होटल्स और एयरपोर्ट्स में स्मोकिंग ज़ोन भी काफी बड़ा हो जाए। बाकी पूरा एरिया तो ''नो-स्मोकिंग'' ज़ोन रहेगा। पहले एयरपोर्ट्स में ''नो-स्मोकिंग ज़ोन्स'' रहते थे। अब इस बिल के माध्यम से ''स्मोकिंग ज़ोन्स'' बन रहे हैं।

महोदया, मेरा एक सुझाव यह भी होगा कि सेंट्रल हॉल के लिए भी एक ''स्मोकिंग ज़ोन'' बना देना चाहिए ताकि जो सिगरेट नहीं पीने वाले हैं, उनको उसके धुएं से थोड़ी राहत मिले।

उपसभापति: मतलब आपका कहना यह है कि एक छोटा सा गैस चैम्बर बना देना चाहिए जिसमें सिगरेट पीने वाले लोग दाखिल हो सकें।

श्रीमती सविता शारदा (गुजरात): मैडम, मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि प्रचार और प्रसार माध्यमों द्वारा पान मसाला, तम्बाकू, सिगरेट वगैरह का जो प्रचार हो रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा बंधन होना चाहिए क्योंकि 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, वे बड़े नहीं होते हैं और उन पर थोड़ा सा दबाव आएगा कि ये चीज़ें वे न लें।

उपसभापति: मैबल रिबैलो जी, जब यह बिल शुरु हुआ तब आप नहीं थीं। We have taken a decision that it will not be a long speech. Whatever suggestions you have, you can give because everybody knows what is the bad effect. Everybody is giving suggestions. आप बोलिए।

MISS MABEL REBELLO (Madhya Pradesh): Thank you, Madam Chairperson. Since you have said that decision has been taken not to....*(Interruptions)*....

THE DEPUTY CHAIRMAN: That was the will of the House.

MISS MABEL REBELLO: Okay Madam, I go with the will of the House. I have only a few things to suggest. One is that punishment under this Bill is very, very severe, that is, even people who commit homicide they are given only six months' imprisonment as punishment, and here the punishment is supposed to be very severe both for selling and for advertising. Then again, Madam, both the manufacturers and traders or sellers have same type of punishment. The manufacturers are large corporate sectors. They have large amounts of money. But the seller is an illiterate man; he is a semi-literate man in mufussil areas. He does not know that the packet of cigarette should have certain specifications like 'it is injurious to health', and all that. He does not know that it should not be advertised. When that sort of thing is there, how can you treat manufacturers and sellers at par? It should not be so. The seller definitely being a small man, the punishment should not be that much severe for him; you punish manufacturers severely.

Then again, there is discrimination between cigarettes and tobacco products. Why should there be discrimination? Cigarettes are banned all over the country, but products of tobacco are banned only in a few States. So, make it universal; make it world-wide because both cigarettes and products of tobacco are injurious and hazardous. We know in our own country a lot of people have died of cancer. A lot of people have died of TB, smoking cigarettes, chewing pan, chewing tobacco and chewing *gutaka*. All these things have created a lot of health problems. Since we are talking about health problems, make it severe and make it universal for the whole country both for tobacco and tobacco products. Again, there is a fear that banning cigarettes and tobacco products in the country will allure people to import cigarettes. Today when we are importing cigarettes, only 35 per cent of duty is levied on the import of cigarettes, and there is a provision of WTO that duty can be levied to the extent of 150 per cent. Why aren't we levying 150 per cent – maximum possible limit? We should exercise and levy higher amount on import of cigarettes so that cigarettes of other countries do not come. Otherwise, when we are making this law and bringing this legislation to make our products very expensive, those people will dump it, and this country will become dumping ground for imported cigarettes. Similarly, Madam, today, people say that a lot of cheap

varieties of cigarettes are being smuggled into our country. Even these should be stopped. We should adopt such strict measures so that people are not able to smuggle cigarettes into our own country. Similarly, since we are thinking of the future and the future generations, at least, 500 yards within the vicinity of schools and colleges, nobody should be allowed to sell cigarettes or tobacco products. This provision should be made very, very harsh, and whosoever is found selling these products near schools and colleges, should be suitably punished.

Madam, you are giving the power to punish people in the hands of a sub-inspector. You have said that sub-inspectors and others, without warrant, can arrest people. Now, if you are giving this type of tool in the hands of a small functionary, like a sub-inspector, who is a class-III government servant, he will use it for his own advantage; he will use it for corruption; he will use it even for punishing the suspected people and he may even take vengeance. That is why when you are giving this type of power to the small functionary, you should be very cautious, and you should not allow these functionaries to arrest anybody without warrants. We are talking about POTA, and you have made the provisions of this Bill so harsh. I definitely say that there should be a provision for severe punishment. But that does not mean that you can give a weapon to anybody who can use it to his own advantage to punish people. He may misuse this power. So, one should be very cautious about it.

The last point is about the employment of a large number of people. An argument is being advanced that if this Bill is passed, a large number of farmers will be affected. In this respect, I would suggest that the Government should take suitable measures to see that farmers are given some other skill training and incentives so that they can go in for an alternate crop. With these observations, I support this Bill.

उपसभापति : श्री एस.एम. लालजन बाशा।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे (पश्चिमी बंगाल) : मैडम मेरा नाम है।

उपसभापति : आप इनके बाद आती हैं। इनकी पार्टी के ज्यादा लोग हैं।

श्री एस.एम. लालजन बाशा (आन्ध्र प्रदेश) : मैडम डिप्टी चेयरपर्सन, आज जो यहां पर यह बिल लाए हैं, यह बहुत ही खुशी की बात है। यह बिल देर से आया है, लेकिन ठीक है। इसमें हमारा एक यह भी सुझाव है कि आन्ध्र प्रदेश में जो इंडियन टोबेको बोर्ड है, यह मेरे

ही डिस्ट्रिक्ट में है, इसमें तकरीबन 50 लाख टोबेको ग्रोअर्स, फारमर्स हैं। ये सब इसके ऊपर डिपेंड हैं। सिगरेट, बीड़ी के काम से आज लगभग तीन करोड़ लोग अपना जीवन जी रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों को यह देखना है कि जो भी बिल हम लोग लेकर आते हैं या कंट्री में जहां पर भी ऐसा लेजिसलेशन लेकर आते हैं, उनके आल्टरनेटिव सुझाव, आल्टरनेटिव क्रोप्स, वह सब करके उसको डायवर्सन करके लाए हैं। क्योंकि पार्टिकुलरली टोबेको ग्रोइंग एरिया में हर एक फारमर भी उसके ऊपर लाखों रुपया खर्च करता है क्योंकि टोबेको बैन होना है, टोबेको ग्रोअर्स पर बैन होना है। वे लोग बेचारे लाखों रुपया बैंकों से कर्जा लेते हैं। इसके ऊपर 50 लाख फारमर्स डिपेन्ड हैं। एक दूसरी चीज जो हमारी संसद ने कही है, वह सही है। क्योंकि आज जितनी इंपोर्टेड सिगरेट विदेशों से आती है, उसको भी स्ट्रिक्टली बंद करना जरूरी है। बहुत सी ट्रेड यूनियन हैं इसलिए इस बिल को लाने से पहले उनसे बात करें और फारमर्स से भी इसके विषय में बात करनी चाहिए। मेरा पर्टिकुलरली सुषमा जी से कहना है कि एक बार उनको भी सुन लें और उनके सजेशन्स भी ले लें। तीन करोड़ लोग इस पर डिपेंड हैं, आप उनकी ट्रेड यूनियन के लोगों से बात करें कि किस तरीके से हमें इसको करना है तो बहुत अच्छा होगा। पर्टिकुलरली यह मेरा सजेशन है। अभी तो वे सौ या आधा लेते हैं लेकिन पुलिस वालों को करप्शन का एक नया रास्ता मिलेगा। जो गरीब आदमी है, जिसे हुकुमत से अभी एम्प्लोएमेंट नहीं मिली है, वह खुद एम्प्लोएमेंट करके, पान-डब्बा रखकर अपनी रोजी-रोटी चलाता है, उसकी रोजी छीनने के लिए पुलिस वाले वहां भी पहुंच जाएंगे। इससे गरीब जनता का जितना नुकसान होगा, उसे भी मंत्री जी जरा नजर में रखें। किसी भी कंट्री में इतना ज्यादा नहीं है लेकिन हमारे देश में पर्टिकुलरली गरीबी ज्यादा है, एम्प्लोएमेंट नहीं है इसलिए सबसे ईजी एम्प्लोएमेंट यही पान का डिब्बा है। पान का डिब्बा चला लेंगे। उसकी फैमिली चलाती रहेगी लेकिन उस पान के डिब्बे को भी पुलिस वाल लेजिस्लेशन की आड़ लेकर उन लोगों के लिए नई मुसीबत खड़ी करेंगे। बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे। इससे करप्शन बहुत बढ़ जाएगा। इसे भी नजर में रखते हुए इसे इस तरह से फ्रेम कीजिए ताकि उन लोगों को भी प्रॉब्लम न हो। मैं इतना ही सुझाव देता हूं और इस बिल का दिलोजान से समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती चंद्रकला पांडे : मैडम, आपने पहले ही निर्देश दे दिया है कि दीर्घ भाषण न दिया जाए इसलिए मैं अपने चंद सुझाव बहुत संक्षेप में देना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं अपने दोनों पूर्ववक्ताओं से स्वयं को सहमत और संबद्ध करना चाहूंगी जिन्होंने बहुत-से लोगों की रोजी-रोटी के प्रश्न को इससे जोड़ा है। उनका क्या होगा और उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था की जाएगी, इस पर भी हमें सोचना होगा।

सुषमा जी से मैं आपके माध्यम से अनुरोध और विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि चैरिटी बिगिन्स एट होम पर अमल करते हुए यहां से शुरू करें। हम लोग जैसे पैसिव स्मोकर हैं, यहां

लॉबी में हमारे अनेक एम.पी. सिगरेट पीते रहते हैं, उन्हें हम कुछ नहीं कह पाते हैं। इसे यहीं से शुरू करें। कम से कम इसी सत्र में इस लॉबी में सिगरेट पीना बिल्कुल बंद करवा दें। अगर हो सके तो संसद परिसर में भी बंद करवा दें ..(व्यवधान)..

उपसभापति : सिगरेट पीना पार्टी से अबव है। It is a all party problem.

श्रीमती चंद्रकला पांडे : यह पार्टी से ऊपर उठकर हो। चूंकि मैं अपने लीडर्स को मना नहीं कर सकती इसलिए मैं आपके माध्यम से उनसे यह अनुरोध करना चाहूंगी। आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर एक बंदिश हो जाए तो हमारे लीडर्स, उनके लीडर्स, इनके लीडर्स, सब लीडर्स कम से कम लॉबी में सिगरेट पीना बंद कर दें। हो सके तो संसद परिसर में भी बंद कर दें

इसके बाद एयरपोर्ट पर जो एक स्मोकिंग जोन बनाया है उससे समस्या और बढ़ गई है। जितने भी सिगरेट पीने वाले हैं वे उस स्मोकिंग जोन में आकर सिगरेट पीते हैं। इससे पोल्युशन और ज्यादा होता है। अगर एयरपोर्ट के बाहर स्मोकिंग जोन हो, लोग भीतर घुसने से पहले जितनी सिगरेट पीनी चाहें पी लें और भीतर आकर सोचें की यहां हमें सिगरेट नहीं पीती है, तो बहुत अच्छा होगा।

जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो उन दिनों एक गाना बहुत प्रचलित था कि "हर फिक्र को धुंए में उड़ाता चला गया"। ऐसा एक गीत था। हम लोग, खासकर लड़कियां सोचती थीं कि पुरुष इसलिए हर फिक्र को धुएं में उड़ा देते हैं क्योंकि वे सिगरेट पीते हैं। कालांतर में लड़कियां भी सिगरेट पीने लगीं और उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि हम भी फिक्र को सिगरेट में उड़ा दें। यह एडवरटाइजमेंट के बारे में बात हो रही है। बहुत सारे ऐसे एडवरटाइजमेंट आते हैं जिससे लोगों के मन में यह बात जागती है कि शायद सिगरेट पीना बहुत अच्छा है। जो बिल अभी लाया गया है उसमें हमारी संसदीय समिति की सिफारिशों को सुषमा जी ने काफी समावेशित कर लिया है। यह बहुत अच्छा है।

गुटके के एडवरटाइजमेंट को कम से कम बंद करें। एक व्यक्ति कहता है कि एक मुझे दो, एक मुझे दो फिर एक लंबा व्यक्ति आकर कहता है कि एक-दो से मेरा क्या होगा तो पूरी गुटके की माला उसे दे दी जाती है। दहेज का लेन-देन गुटका लेने-देने में बंद किया जाता है। बारात आती है और लौट जाती है। फिर बारात आ जाती है क्योंकि गुटका समय पर दे दिया जाता है। इस तरह के जो एडवरटाइजमेंट हैं, इनसे समाज में तम्बाकू के सेवन को तो बढ़ावा मिल ही रहा है साथ ही बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। उन पर भी बंदिश लगाई जाए।

एक संशय मेरे दिमाग में है कि बहुत सारे खेल स्पोन्सर होते हैं। सुषमा जी ने भी इसके बारे में बताया। क्या उन पर तुरंत रोक लगाई जाएगी। बहुत सारे हॉलीडे टूर्स भी हैं। गोल्ड फ्लैक

नाम से तथा और भी बहुत सारी एडवरटाइजमेंट एजेंसी हैं, जैसे विल्स है। बहुत सारी एडवरटाइजमेंट के नाम से ड्रेसेज बन रही हैं। बच्चे इन्हें पहनते हैं। स्कूलों में जाकर इस पर प्रतियोगिताएं की जा रही हैं। इन सब पर भी अगर रोक लगाई जाए तो अच्छा है। प्राइवेट टी.वी. चैन्लस पर आखिर हम किस तरह से नियंत्रण करेंगे जबकि संसदीय समिति ने इसके लिए माना है कि हमारे पास कोई मोनिटरिंग एजेंसी नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि माननीया मंत्री जी मुझे इन सब पर जवाब दें। साथ ही स्कूलों में बच्चों के मन में सिगरेट के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए भी पाठयक्रम तैयार किए जाएं और इसके बारे में समाज में एक जनरल अवेयरनैस पैदा की जाए। अभी माननीय संघ प्रिय गौतम जी यहां नहीं हैं। करीब 7-8 साल पहले उन्होंने स्पेशल मेंशन के जरिए चर्चा की थी कि सिगरेट बंद किया जाए। मुझे याद आ रहा है, उसमें उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा था कि सिगरेट पीने से तीन लाभ होते हैं--बुढ़ापा नहीं आता, चोरी नहीं होती और कुत्ता नहीं काटता। बुढ़ापा इसलिए नहीं आता कि आदमी जवानी में ही मर जाता है। कुत्ता इसलिए नहीं काटता कि उसे लाठी लेकर झुक कर चलना पड़ता है और कुत्ता आता है तो वह उसे लाठी से मार देता है। चोरी इसलिए नहीं होती कि रात भर वह खांसता रहता है और चोर नहीं आता। मंत्री संघ प्रिय गौतम जी अभी यहां नहीं हैं, उन्होंने बड़े दुख से यह विषय उठाया था और उस समय उन्होंने कहा था कि सिगरेट पीना बंद किया जाए। लेकिन तब यह बिल संसदीय समिति को भेज दिया गया था। सारे दुखों को जानतें हुए भी मनुष्य सिगरेट पीता है। उस पर बंदिश लगाने में सरकार भी अब तक समर्थ नहीं हो पाई थी। अगर वह सक्षम हो, समर्थ हो तो मुझे बहुत खुशी होगी और यह केवल कागजी कार्यवाही नहीं बने। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: My professor used to say, "I can't think and write the thesis, if I don't smoke". When I was writing my thesis, I said, "I can think and write my thesis without smoking. What was wong? It was just an excuse".

Shri S.S. Chandran. Are you speaking in Tamil.

SHRI S.S. CHANDRAN (Tamil Nadu) : No Thank you, Madam.

SHRI N. JOTHI (Tamil Nadu) : Madam, he wanted to speak in Tamil. But the notice was given just now. Therefore, Shrimati Gokul Indira may be allowed to speak in his place.

SHRIMATI S.G. INDIRA (Tamil Nadu) : Thank you very much, Madam, for giving me this opportunity. I will take only one minute. If you see the advertisement, you will find that a man is shown smoking a cigarette and making some gesture as if he is getting some relief. The main point is that he is shown in the company of a woman. Therefore, particularly,

this kind of advertisements should be banned. This is my humble suggestion. Thank you.

SHRI J. JOTHI : Perhaps, to get rid of the problems which those women give to him, he may be smoking to get some relief.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Shri C.P. Thirunavukkarasu. At least, now I can pronounce your name very easily.

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU (Pondicherry) : Madam, there is pronibition on liquor advertisements on the TV. But I have been able to see the advertisements of King Fisher Water, Black Label Water and Eagle Water or apple juice on the TV. What is shown on the TV is bottles of Eagle, bottles of King Fisher and bottles of Black Label. When I see all these things, I don't see the water. I see only the beer. It is the case with all the people. It stimulates you to drink King Fisher or Black Label or some other thing. What I am trying to say is that the same sort of camouflage is there in the cigarette advertisements also. I request the hon. Minister to look into the matter. Such things should not be shown on the TV.

Now I come to clause (2)(I) where the words "public places" are defined. The definition includes court building, educational institutions, etc. We are framing a law. When you include educational institutions, court buildings, etc., in the definition of "public places", you include the Parliament building also in it. We are framing the law for the nation and should obey the law first. It should be included. I do not know why it has been omitted. It may kindly be explained.

Another aspect, which I would like to say is with regard to clause 25(2). It states, "where a police officer or any officer of the State Government, not below the rank of Sub-Inspector of Police, as authorised by the Government, has reasonable grounds for believing that any person has committed an offence under section 3 or section 5...." Clause 3 relates to smoking at public places and clause 5 relates to sale of cigarette, or other tobacco products.

So, the sale of cigarette or any tobacco products or smoking should not take place in the presence of Sub Inspector of Police. But, I can purchase a cigarette and smoke in the presence of the head constable, in the presence of the Police Officer, in the presence of Assistant Sub Inspector of Police.

SHRI SATISH PRADHAN: Officers include constables.

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU: No, it is not mentioned. In another clause, it is mentioned that Police Officers include officers not below the rank of Sub Inspector of Police. You have mentioned that. If you say, 'police officer', I will be silent but you say, 'not below the rank of police officer'. So, I can smoke before an Assistant sub-Inspector of Police, Head Constable or a Constable. As soon as the Sub Inspector comes, I can just throw away the cigarette and keep silent. He cannot arrest me. So, kindly think over the matter.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Perhaps, the police officer can report. (*Interruptions..*) The Minister will reply.

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU: The power was given to the constable, even to arrest a person in a murder case, once it becomes a cognisable offence. You are making an offence a cognisable offence. Why are you giving this particular power to Sub Inspector of Police? It will not be operative at all.

Another submission, I would like to say that clause 3 states that "No person shall engage in smoking in any public place where smoking is prohibited and such prohibition is displayed through audio or visual medium". If the audio or visual medium is not functioning due to the failure of electricity or by some other reason, are we entitled to smoke at that particular place? We have to notify in the Gazette that these are the places where you are not entitled to smoke. That itself is sufficient.

Finally, as far as appeal provisions under clause 19(1) are concerned, it is a redundant clause because under the Cr. PC if a person is convicted for one day, two days or upto three years, he is entitled to prefer an appeal before the Appellate Court. For more than three years, he is entitled to prefer an appeal in some other court. So, there is no specific mention as to where the Appeal has to be filed under clause 19(1). This clause is unwarranted. I have looked into several provisions of the Special Laws. They have simply kept silent as to where the appeal has to be preferred because the Cr. PC gives the right to prefer an appeal. Under that, we can prefer an appeal on those grounds. So, I welcome the provisions of the Bill. But, it has not been properly drafted and there are lot of lacunae, which I do not want to mention at this juncture. Thank you, Madam.

श्री कुमकुम राय: धन्यवाद, उपसभापति महोदया। देर आयद दुरस्त आयद, पिछले ही साल हम लोगों ने इस बिल के आने का इंतजार किया और खबर तो यह भी सुनने में आई कि कुछ कारपोरेट जगत और गुटका उत्पादकों के भारी दबाव के कारण मंत्री को भी हटा दिया गया। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री महोदया के इस साहस की प्रशंसा करना चाहूंगी क्योंकि दबाव तो इन पर भी पड़े होंगे या पड़ते रहे होंगे। उन तमाम दबावों को झेलकर आपने इस बिल को लोकसभा से पहले इस माननीय सदन में लाने का काम किया, इसलिए आप प्रशंसा की पात्र हैं।

महोदया, मेरे पूर्व वक्ताओं ने जिन-जिन सुझावों से सदन का अवगत कराया, उन तमाम सुझावों से सहमत होते हुए मैं अपनी कुछ जानकारी दुरुस्त करना चाहूंगी। जैसा कहा गया कि संचार माध्यमों से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से विज्ञापन पर रोक लगा दी जाएगी, लेकिन संचार माध्यमें में, इलेक्ट्रोनिक मीडिया में जो विदेशी चैनल हैं, इंटरनेट हैं और जो इसके साथ साथ प्रिंट मीडिया के विदेशी अखबार हैं, विदेशी पत्र-पत्रिकाएं हैं उनमें आप कैसे रोक पायेंगी? इस के साथ ही साथ यह भी देखने में आता है कि विज्ञापन करने के नए-नए तरीके ईजाद हो रहे हैं, जैसे पतंगे उड़ाई जाती हैं और उनमें तरह तरह के विज्ञापन लिखे जाते हैं, गुब्बारे उड़ाए जाते हैं और वे काफी दिनों तक लहराते रहते हैं, जो दूर दूर तक जनता को दिखाई देते रहते हैं और जिनमें मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जाता है। आप दीवारों पर या बोर्ड लगाकर इन तमाम विज्ञापनों पर प्रति-बंध लगाएंगे, लेकिन जो दूसरे तरीके हैं, उनके संबंध में प्रावधान स्पष्ट समझ में नहीं आया।

महोदया, सिगरेट और तम्बाकू से बने हुए तमाम जो चबाने वाले और सूंघने वाले उत्पाद हैं या खैनी वगैरह हैं, इनसे स्वास्थ्य का तो नुकसान होता ही है, साथ ही साथ इनसे चारों तरफ गंदगी भी बिखरती है। मुंह में जो खैनी रखी जाती है, उसके तुरंत बाद उसे थूकने की जरूरत होती है, जिससे जगह-जगह लोग थूकते हैं और इसी तरह तम्बाकूवाला पान खाकर जब लोग चलते हैं तो कुछ देर बाद वे लोग उसकी पीक इधर-उधर फेंकते हैं। इससे सुन्दर से सुन्दर इमारतें, दर्शनीय स्थल, तीर्थ स्थल और पर्यटक स्थल भी अछूते नहीं रहे। सरकारी इमारतों में इसके लिए पीकदान का इंतजाम होने के बावजूद भी वहां की दीवालें रंगी पुती और स्पेशल पेंटिंग वाली नजर आती हैं। विदेशों में तो बड़े कड़े दंड और जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन हमारे यहां तो नाममात्र का ही सुनने में आता है क्यों कि बहुत कम ऐसा सुनने में आया है कि ऐसे संस्थानों में थूकने वाले या पीक फेंकने वाले लोगों को पकड़ कर उनसे जुर्माना लिया गया हो। इसको तो निषेध किया जाए और इस प्रकार के दंड ऐसे लोगों पर लागू किए जाएं। इससे हमारे इस कानून की सार्थकता बढ़ेगी।

महोदया, हमारे माननीय सदस्य ने स्कूलों और कॉलेजों के सौ मीटर के अंदर की सीमा को भी कम करने की गुजारिश की है। मेरा मानना है कि वास्तव में बचपन से ही बच्चों में आकर्षण होता है और वे तमाम विज्ञापनों से आकर्षित होते हैं, उनके मन में यह आकांक्षा होती है कि एक बार कश लगाकर देखा जाए, एक बार पुड़िया खाकर देखी जाए। तमाम तरह के आकर्षण वाले पैक

में यह उत्पाद सस्ते में मिलते हैं। बच्चे सिर्फ स्वाद लेने के लिए उसे लेते हैं और फिर आजीवन उसके शिकार हो जाते हैं, जिंदगी भर उस लत से अपने आपको छुड़ा नहीं पाते। इस तरह स्वास्थ्य के साथ-साथ पैसा भी बर्बाद करते हैं। इसलिए यह जो सौ मीटर की बात कही गई है, मेरी समझ में नहीं आती क्योंकि समिति ने भी पांच सौ मीटर की सिफारिश की थी। यह पांच सौ मीटर कोई ऐसी बहुत लंबी चौड़ी जगह नहीं है कि उसे प्रतिबंधित क्षेत्र न समझा जाए या उसे न किया जा सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे स्कूल से टिफन टाइम में या खाली समय में बाहर निकल कर चले जाएं और एकाध कश लगाकर वापस स्कूल आ जाएं। इसलिए कम से कम पांच सौ मीटर की जो दूरी है उसे बनाए रखा जाए। यह मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से आग्रह करना चाहती हूँ।

महोदया, विदेशी चैनलों के माध्यम से, तमाम इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से जो खुलेआम इस लत को ग्लेमराइज किया जा रहा है, उस पर भी किसी प्रकार से रोक लगनी चाहिए। सुना जा रहा है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस पर कुछ नियमन करने के लिए एक प्रस्ताव से विचार किया जा रहा है। उसमें शीघ्रातिशीघ्र कुछ ऐसा विनियामक तंत्र बन सके, जिससे कि इन विदेशी चैनलों, विदेशी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से जो ऐसे विज्ञापन सुसज्जित करके दिखाए जाते हैं, उन पर रोक लग सके। इस संबंध में भी मंत्री महोदया पहल करेंगी, इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद।

श्री सतीश प्रधान: उपसभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं दो-तीन बातें आदरणीया मंत्री महोदया के ध्यान में लाना चाहता हूं।

मैडम, पेज नं॰ 6 पर क्लाज़ 6 में लिखा है:-

"Restriction on trade and commerce in, and production, supply and distribution of cigarettes and other tobacco products."

इसी तरह 6(1) में है:-

"No person shall, directly or indirectly, produce, supply or distribute cigarettes or any other tobacco products unless every package of cigarettes or any other tobacco products produced, supplied or distributed by him bears thereon, or on its lebel, the specified warning."

क्लाज़ 6(5) में है:-

"No person shall, directly or indirectly, produce, supply or distribute cigarettes unless every package or cigarettes produced, supplied or distributed by him indicates thereon, or on its level, the nicotine and tar contents per cigarette."

मैडम, ड्राफ्टिंग में एक बात ध्यान में नहीं रखी गई, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे बीड़ी है। बीड़ी का पैकेट बाजार में मिलेगा लेकिन पूरा पैकेट कोई एक व्यक्ति खत्म नहीं करता है। बीड़ी का पूरा पैकेट लिया जाता है और दस, पांच, सात लोग एक साथ बैठकर उसे आपस में डिस्ट्रब्यूट करते हैं। अब पैकेट में से जो बीड़ी दी जाती है तो उस बीड़ी पर कोई लेबल नहीं रहता। लाल धागा बीड़ी या नीला धागा बीड़ी या किसी और नाम से वह पहचानी जाती है लेकिन बीड़ी पर कोई लेबल नहीं रहता। बीड़ी के पैकेट पर बाहर नाम लिखा होता है, अंदर बीड़ी पर नहीं होता।

इसी तरह से सिगरेट के बारे में भी एक और बात मैं बताना चाहता हूं। जिन्होंने ड्राफ्ट किया है, शायद उनको सिगरेट स्मोकिंग का अनुभव नहीं होगा। लेकिन बाजार में केपस्टन का सिर्फ टोबेको का एक पैकेट मिलता है और उसके साथ राइस पेपर मिलता है। बहुत छोटे-छोटे से इतने लम्बे वे पेपर आते हैं। उस छोटे पेपर पर थोड़ी सी टोबेको डालकर, लपेटकर और फिर बंद करके तथा उसको छोटी सी सिगरेट बनाकर पीया जाता है। तो ऐसे सिगरेट पेपर पर भी कुछ नहीं लिखा होता। वह राइस पेपर के नाम से आता है और उस पर टोबेको डालकर पीया जाता है और यह भी बहुत बड़ी मात्रा में बाजार में है। इसके लिए यहां अभी कोई बंदोबस्त नहीं दिख रहा है लेकिन बाद में कुछ अमेंडमेंट लाकर इस विषय पर भी कुछ सोचने की आश्यकता है ऐसा मुझे लग रहा है।

मैडम, इसी तरह से डेफिनेशन आफ पब्लिक प्लेसिस जो बताई है, मैं उसमें थोड़ा कहना चाहता हूं कि इसमें रेलवे स्टेशन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी उल्लेख होना चाहिए और इस विषय पर भी मंत्री महोदया आप सोच सकती हैं

मैडम, दो बातें और मेरे सामने हैं। यह बहुत अच्छा विधेयक है। अनुभव के साथ मैं बोल सकता हूं क्योंकि मैं एक जमाने में बहुत सिगरेट पीता था। मैं एक दिन में 20-20 पैकेट सिगरेट पीता था। लेकिन अभी 1986 में अचानक एक दिन मैंने सिगरेट पीना बंद कर दिया और उस दिन के बाद से आज तक सिगरेट नहीं पीया।

डा॰ कर्ण सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): कितने?

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल): कितने पैकेट पीते थे?

श्री सतीश प्रधान: एक दिन में 20-20 पैकेट पीता था।..(**व्यवधान**).. मैं हकीकत बोल रहा हूं कि मैंने इतने सिगरेट पीये हैं, लेकिन आज नहीं पीता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि ..(**व्यवधान**)..

श्री नीलात्पल बसु: यह तो कुछ हजम नहीं हुआ। जब मैं इतने सिगरेट नहीं पीता तो आप कैसे? ...(**व्यवधान**)..

श्री सतीश प्रधान: मैंने इतने सिगरेट पीये हैं। आप मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं इसलिए।

उपसभापति: आप जो बता रहे हैं, 20-20 पैकेट पीने के बाद भी अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो मंत्री जी के बिल के ऊपर थोड़ी आपत्ति आएगी।

श्री सतीश प्रधान: मैडम, अब मैं छोड़ चुका हूं। मैंने 1986 में सिगरेट पीना छोड़ दिया था, आज नहीं छोड़ा। मैं उससे पहले बहुत सिगरेट पीता था और कम कम से कम 20 साल से ज्यादा सिगरेट पीये हैं।

श्री नीलोत्पल बसु: 20 साल में कितने सिगरेट पीए?

श्री सतीश प्रधान: आप इकनोमिस्ट हैं, आप हिसाब लगा लीजिएगा। आप इसका हिसाब लगा लीजिएगा। मैडम, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के जो विज्ञापन होते हैं और जैसा अभी मंत्री महोदया ने बताया कि एक्सपोज़र के जो विज्ञापन दिए जाते हैं, उनमें ज्यादातर विज्ञापन सिगरेट और खासकर मद्य के होते हैं। उसका भी कारण है। हमारे यहां क्रिकेट के लिए सभी लोग पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। हमारा दूरदर्शन, DD Sports, Star Sports, सभी लोग उसके विज्ञापनों के लिए काफी बड़ी मात्रा में पैसा देते हैं लेकिन जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं, उनके लिए कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। महोदया, जो राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स होते हैं, उनके लिए केन्द्र सरकार की तरफ से अच्छी मदद मिलती है लेकिन यदि राज्य स्तर पर या लोकल स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई टूर्नामेंट होता है तो उसके लिए यहां से कोई धन उपलब्ध नहीं होता। जो धन मिलता है, मैं बताना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यदि कोई टूर्नामेंट आर्गनाइज़ करना है तो उसके लिए केन्द्र सरकार की तरफ से सिर्फ 300 रुपए Grant-in-aid मिलती है। आज की तारीख में केवल 300 रुपए में कोई स्पोर्ट्स इवेंट आर्गनाइज़ करने में बहुत मुश्किल होती है। इसके लिए दूसरे किसी माध्यम से और दूरदर्शन के माध्यम से जो आय क्रिकेट के विज्ञापनों से और दूसरे खेलों के विज्ञापनों से होती है, उस पैसे को फिक्स करके उसके द्वारा दूसरे खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ प्रावधान किया जाना चाहिए। यदि यह नहीं किया जाएगा तो हमें इस दिशा में आगे बढ़ने में मुश्किल होगी।

महोदया, आखिरी बात यह है कि जैसाकि मंत्री महोदया ने बताया है कि 50 लाख से ऊपर लोग तंबाकू के व्यवसाय में लगे हुए हैं और उनकी रोजी-रोटी इसी व्यवसाय पर निर्भर है। हम यह कहते हैं कि इस व्यवसाय को बंद करने से इतने सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस व्यवसाय को तो बंद करना ही है लेकिन इन लोगों के लिए भी अलग से कोई योजना बनाकर कुछ व्यवस्था करने की जरूरत है, इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

DR. KARAN SINGH: Madam Deputy Chairman, I am just intervening in the discussion because 30 years ago, I was the first person to introduce and pilot, through Parliament, a Bill which laid down that every packet must have a smoking warning. This was exactly 30 years ago. Over these 30 years, I have seen that it has been observed much more in breach than in observance, because wherever you see this warning, it is almost illegible; you have the huge posters with glamorous young people smoking. And, it has become a mere farce. I am very happy that the Minister has now brought in a new Bill; clause 7 which specifies the manner in which the specific warning shall be made. Madam, my first point is that there should be very clear, unambiguous policy on posters and hoardings.

Here, I would like to mention briefly the broader point. In this country, we have no commitment to national physical fitness. There must be a physical fitness campaign, and that must start from schools and colleges. The young people must be taught that they must not poison their bodies through alcohol, tobacco or drugs. And, even the adults in this country are not really involved in physical fitness. If you go to China, they have a thing called 'Tai chi', which is a sort of a slow motion yoga, and thousands of people are out in the streets every morning and doing it. The old Yoga Kendras have more or less disappeared in our country. I think, we need a public education campaign for physical fitness, and against smoking is really one part of the broader campaign.

I warmly welcome the Bill, but do suggest that the Minister should try and come out with a more integrated and holistic educational programme on this.

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति महोदया, सबसे पहले तो मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इस बिल के महत्व और सदन की भावनाओं को देखते हुए स्वयं यह सिफारिश की कि यह बिल बिना चर्चा के पारित हो। आपकी सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बहुत कम समय में चर्चा हुई है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि चर्चा भले ही सीमित रही लेकिन चर्चा हर दृष्टि से परिपूर्ण रही। इस चर्चा में गाम्भीर्य भी था तो हास्य और व्यंग्य भी था। इसमें अगर जिज्ञासा और प्रश्न थे तो बहुत अच्छे सुझाव भी थे। जो बिन्दू चर्चा के दौरान यहां आए हैं मैं बहुत संक्षेप से उन पर स्पष्टीकरण देना चाहूंगी, कुछ प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगी। अजय मारू जी ने दो बातें रखी। एक तरफ तो कहा कि स्मोकिंग जोन छोटा कर दो और दूसरी तरफ कहा कि बेचने का

दायरा बढ़ा दो। अब ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। उपसभापति महोदया, ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। अगर आप बेचने का दायरा बड़ा करेंगे तो फिर स्मार्किंग जोन अपने आप में छोटा होगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि जो बातें कुमारी मैबल रिबैलो जी ने कही कि अगर 500 गज की सिफारिश है तो 500 गज ही बनाए रखना चाहिए। हमने इन दोनों को संतुलन बैठा कर ही इसको 100 गज करने की बात कही है। 100 गज से और ज्यादा इसको कम करना अच्छा नहीं होगा वरना स्कूली बच्चों के बिल्कुल पास अगर उनको सिगरेट, गुटका और बाकी चीजें चबाने के लिए, पीने के लिए मिलेंगी तो और ज्यादा उनमें यह गंदी आदत पड़ेगी। इसलिए मुझे लगता है कि जो 100 गज की बात हमने मानी है वह काफी तर्कसंगत है। इसके बाद मैबल रिबैलो जी ने जो बातें यहां पर रखी, उन्होंने जो पनिशमेंट की बात की मुझे लगता है कि जो संसदीय समिति थी पता नहीं वह उसकी सदस्या थी या नहीं। मैबल रिबैलो जी, जो बातें आपने यहां रखी हुबहु वे बातें संसदीय समिति ने अपनी सिफारिश में की थी और मुझे खुशी है आपको यह बताते हुए कि पूरी की पूरी वे सिफारिशें हमने मान ली हैं। इसीलिए इस बिल में जो धारा-15 थी उसे हम समाप्त कर रहे हैं। जो बिल की धारा-20 और 22 थी उसे हम संशोधित कर रहे हैं। इसलिए जो बातें आपने सजा के बारे में रखी हैं वे सारी की सारी जस की तस मान ली गई हैं। एक बात जो आपने इंसपेक्टर वाली कही, उपसभापति महोदया, मुझे यह लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी, किसी भी चीज को अमल में लाने का एक सिस्टम, एक व्यवस्था देश में बनी हुई है और किसी भी चीज के लिए भरोसा आपको उसी सिस्टम पर करना होगा। उस सिस्टम से आगे आप नहीं निकल सकते। अगर आप कह रहे हैं कि स्कूलों के 100 गज के अंदर यह चीज नहीं बिकनी चाहिए तो आप यह नहीं कह सकते कि एस॰ पी॰, डी॰ एस॰ पी॰ उसको आकर के करेगा। आखिरकार अगर छोटी-छोटी जगह पर आपको मॉनिटरिंग करनी है, निगरानी करनी है तो किसी एक अफसर को, किसी स्तर के अधिकारी को आपको यह देना पड़ेगा और इसीलिए उस पूरी चीज की व्यवहारिकता को रख करके..... (व्यवधान)

कुमारी मैबल रिबैलो: एब्सॉल्यूट राइट नहीं देना चाहिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: एब्सॉल्यूट राइट नहीं दिया है। .....(व्यवधान) अगर प्रभावी ढंग से इसकी पालना करनी है तो फिर उसी सिस्टम से निकले हुए उस अफसरान को यह देना पड़ेगा। चन्द्रकला पांडे जी, सविता शारदा जी और इन्दिरा जी ने विज्ञापन के बारे में बात की। मैं उन्हें बताना चाहूंगी। सविता जी ने कहा कि विज्ञापन कम किए जाएं तथा इन्दिरा जी ने कहा कि इस तरह के विज्ञापन आते हैं कि बारातें लौट जाती हैं अगर गुटका नहीं खिलाया जाता है। इन्दिरा जी ने कहा कि महिलाओं के साथ विज्ञापन किए जाते हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि अब इस तरह और उस तरह का सवाल ही नहीं रह गया है, अब कमी और बेशी का सवाल ही नहीं रह गया है। विज्ञापन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होंगे तथा इस बिल के आने के बाद किसी भी तरह के तंबाकू उत्पाद से जुड़ा हुआ

कोई भी विज्ञापन दिखाया नहीं जा सकेगा। तिरुनावुक्कारासु जी ने जो कहा कि किंग फिशर वाटर का आता है, एपिल जूस का आता है, उनका अर्थ था कि सरोगेटेड एडवर्टाइजिंग आती है। जिस तरह सरोगेटेड एडवर्टाइजिंग लिकर में आती है क्या उसी तरह से सिगरेट में भी आएगी? लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगी कि हमने इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का प्रावधान किया है। इसमें न प्रत्यक्ष विज्ञापन आ सकेंगे और न अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन आ सकेंगे। इसी के साथ जोड़ते हुए अपनी चिंता कुमकुम राय जी ने प्रगट की कि आप इलेक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन कैसे रोकेंगी? जो विदेशी चैनल्स से आते हैं उनको कैसे रोकेंगी? वह बैठी हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बतलाना चाहूंगी कि विदेशी चैनल्स हमारे यहां सीधे नहीं आ जाते। विदेशी चैनल्स केबिल के माध्यम से आते हैं और केबिल एक्ट में यह प्रावधान पहले ही किया जा चुका है कि कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये विज्ञापन नहीं आ सकेंगे। इसलिए विदेशी चैनल्स हों तो केबिल के माध्यम से इसको रोकेंगे, जो बाकी चैनल्स हैं वह सीधे इसको रोकेंगे। प्रिंट मीडिया में रुकेगा। जो सतीश जी ने कहा कि अगर हम बस पैनल वगैरह की बात कर सकते हैं तो विज्ञापन किसी भी स्वरूप में हो सकता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यहां तक कि जो स्पोर्ट इवेंट्स होती हैं वह स्पोर्ट इवेंट्स भी इसके बाद स्पांसर नहीं कर सकेंगी। तो पूर्ण प्रतिबंध की बात हम कर रहे हैं। बाशा जी ने जो एक चिंता प्रकट की है। वह चिंता हम सब की चिंता रही है कि आखिरकार किसान तम्बाकू उगाता है या बीड़ी वर्कर्स इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। उनकी चिंता हमारे सामने थी। पहली बात मैं बाशा जी से कहना चाहती हूं कि हम निर्माण पर, चीज के बनाने पर पूर्ण पाबंदी नहीं लगा रहे हैं। अगर पाबंदी लगाते तो आज़मी साहब यह सवाल नहीं करते कि ज़हर को बंद ही क्यों नहीं कर देतीं। उन्होंने यह सवाल इसीलिए किया। तम्बाकू का उत्पादन बंद नहीं हो रहा है। ...(व्यवधान)... मैं उसी बात पर आ रही हूं। हम यह कर रहे हैं कि जैसे आपने सिगरेट बनाया, इसके बारे में मैंने बताया कि सिगरेट हानिकारक है जिसकी शुरूआत डा॰ कर्ण सिंह जी ने की, उन्हीं के उस अच्छे कदम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसके लिए हमने कहा है कि वह बाकी भाषाओं में भी लिखा जाए। उसमें कितना टार कांटेंट है, यह भी उसके अंदर लिखा जाए, इसमें निकोटीन कितनी है, यह भी उसके अंदर लिखा जाये। कोई चित्र, स्कल या कोई बोन्स वगैरह दिखाकर उसका किया जाए ताकि बनने पर भी लोग पीये नहीं। मैं दूसरी बात यह भी कहना चाहती हूं कि हमने यह भी चिंता की है कि तम्बाकू उत्पादक यानी वे फारमर्स जो टुबेको ग्रो करते हैं, उनके बारे में क्या करें। इसके बारे में हम कृषि मंत्रालय से एक सर्वे करा रहे हैं, उनके साथ बैठकर बात कर रहे हैं कि जिस तरह की जमीन और जलवायु में तम्बाकू होता है, उसमें वैकल्पिक फसल कौन-सी हो सकती है, अल्टरनेटिव क्रॉप कौन -सी हो सकती है। मैं अभी हैदराबाद ही गई थी आपके आंध्र प्रदेश में। वहां मैंने कहा–जैसे मैडीसीनल प्लांट्स, यह अपने आप में बड़ी पैसे वाली क्रॉप हो सकती है, जिसे कैश क्रॉप कहते हैं, क्या कोई मेडीसीनल प्लांट्स उसमें लगा सकते हैं ताकि उन ग्रोअर्स को हम यह कह सकें कि छोटे-छोटे खेतों में आप तम्बाकू के बजाय फलां चीज़ उगाइये, उससे ज्यादा आपको फायदा होगा। लेकिन ये लोग

5.00 P.M.

हमारी आंख से ओझल नहीं है। एक बात तो मैं यह कहना चाहती हूं। डा. कुमकुम राय जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि जो बीमारी आती है व्यक्ति को, वह तो आती है, लेकिन जो चारों तरफ गंदगी फैलती है उसका क्या करें। वह अपने आप में एक जहमत है। आप कहीं भी जाएं तो पीक यहां पड़ी है, वहां पड़ी है।

उपसभापति: पार्लियामेंट में भी।

श्रीमती सुषमा स्वराज: लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि यह म्यूलिसिपल लॉ के अंतर्गत आता है। यह नगरपालिकाएं तय करती हैं। इसके लिए आप केन्द्रीय कानून नही बना सकते हैं कि आप यहां मत थूकिये, यहां पीक मत डालिये। यह नगरपालिका के कानूनों में या फिर सिविक हाइजिन की जो एक अवेयरनेस होती है उसके माध्यम से यह चीज़ आती है। जहां तक तिरुनावुक्कारासु जी ने एक बात कही कि मैं सब-इंसपेक्टर से नीचे वाले के पास खड़े होकर पी सकता हूं। यह पीने के लिए प्रतिबंध नहीं है कि आप सब-इंसपेक्टर से ऊपर वाले के सामने नहीं पी सकते हैं और नीचे वाले के सामसने पी सकते हैं। इसमें हमने जो प्रावीजन किया है, वह प्रावीजन तो यह है कि सब-इंसपेक्टर लेवल का आदमी ही कर सकता है, वही उठा सकता है, वही अरेस्ट कर सकता है। जिसके ऊपर मैबल रिबैलो को एतराज है कि इससे भी ऊपर का अफसर लगाइये। इसमें यह नहीं है कि हमने कोई पीने की पाबंदी आप को दे दी। पीने का तो जहां नो-स्मोकिंग जोन है, आप पी सकते हैं। आप डी॰एस॰पी॰ के सामने पी सकते हैं और एक कांस्टेबल के सामने पी सकते हैं। जहां तक पीने का सवाल है, मैं सिगरेट पीने की बात कर रही हूं, शराब की बात नहीं कर रही हूं। पीने का अर्थ हम लोग ज्यादातर शराब से ले लेते हैं। ये जो प्रावधान हम लोगों ने किये हैं. इन पर संसदीय समिति ने बहुत विचार-विमर्श किया है। बहुत अच्छे सुझाव हमें दिये हैं और उन सारे सुझावों का समावेश करके यह बिल मैं लेकर के आई हूं। मुझे लगता है कि जितनी शंकाएं यहां प्रकट की गईं थीं या जितने प्रश्न रखे गये थे, उनका मैंने जवाब दे दिया है।

श्री के. रहमान खान (कर्णाटक): आप लॉबी में इसको बैन करवा दीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं इस पर आ रही हूं। मैं इस पर इसलिए आ रही हूं कि उसका जवाब मुझे नहीं देना है। यहां एक चिंता प्रकट की गई। श्री नीलोत्पल बसु जी यहां बैठे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत है कामरेड नीलोत्पल जी चन्द्रकला पांडे जी को इतना पिलवाने पर मजबूर कर देते हैं साथ बैठकर के कि उनको अपनी चिंता यहां प्रकट करनी पड़ी। लेकिन उपसभापति महोदया, आप जानती हैं कि इस परिसर की मालिक संसदीय कार्यमंत्री नहीं होती है। इस पूरे परिसर के मालिक चेयरमैन साहब या पीठ पर विराजमान आप हैं। अगर आप चाहे तो जैसा चाहें वैसा कानून संसदीय लॉबी के लिये बना सकती है। आपने सदन की भावना देख ली है। आप चेयरमैन साहब से कहकर

जरूर कानून बनवा दीजिए कि लॉबी में भी नहीं पियेंगे, सेंट्रल हाल के केवल एक बैंच पर पीयेंगे। वहां नीलोत्पल साहब को बैठा दीजिए। कामरेड नीलोत्पल चन्द्रकला जी को भी तंग करते हैं और मुझे भी तंग करते हैं इसलिए हम दोनों उससे बरी हो जायेंगे। आप निश्चित तौर पर सदन की भावनाओं को चेयरमैन साहब तक पहुंचा कर के यह कानून बनवा दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री नीलोत्पल बसु: यह सबके लिए कामन इंटरेस्ट में होगा, इसलिए मैं कुछ नही बोल रहा हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप ये कानून बनवा दीजिए कि लॉबी में कम से कम हमको इस धुएं से मुक्त कर दिया जाये। हमें फिक्र की मुक्ति धुएं से नहीं करनी, धुएं से मुक्त होना है। इसी के साथ-साथ मैं फिर से यह प्रार्थना और गुजारिश करना चाहती हूं कि इस बिल को सर्व-सम्मति से पास कर दिया जाये।

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी (उत्तर प्रदेश): उन तीन करोड़ मजदूरों का क्या होगा? ...(व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is a suggestion. I have seen it abroad. Within the 100 metre-zones near schools, they put a warning saying School Zone: Smoking is Prohibited', or 'School Zone: No drugs'. Similarly, if you put such labels, it will be better. People will know "स्कूल का इलाका है, यहां पर सिगरेट पीना मना है"–ताकि कोई यह न कहे कि हमें मालूम नहीं था। आप वहां ऐसे लेबल लगवा दीजिए।

श्री एस॰ एम॰ लालजन बाशा: मैडम, सुषमा जी हैल्थ मिनिस्टर हैं। इसलिए पूरे देश का ख्याल करके बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने उत्तर दिया। लेकिन मुख्य रुप से टोबैको की खेती करने वालों पर इस बिल का असर होगा इसलिए उनकी ट्रेड यूनियन्स को भी सुन लें और उस संबंध में भी देख लें।

श्रीमती सुषमा स्वराज: उसका जवाब मैंने दे दिया है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

"That the Bill to prohibit the advertisement of, and to provide for the regulation of trade and commerce in, and production, supply and distribution, cigarettes and other tobacco products and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

In Clause 2, there are two amendments (No. 7 and 8) by Shrimati Sushma Swaraj.

खण्ड 2 - परिभाषाएं

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि:

(7) पृष्ठ 2, पंक्ति 32, "**पूरक**" **के स्थान पर,** "**फिल्टर**" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

(8) पृष्ठ 3, पंक्ति 23, "**स्वास्थ्य सेवाएं**" **के पश्चात्** "**रेल प्रतीक्षालय**" **अंत:स्थापित** किया जाए।

The questions were put and the motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 3, there is one amendment (No. 9) by Shrimati Sushma Swaraj.

खण्ड 3 - लोक **स्थानों में धूम्रपान का प्रतिषेध**

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि:

(9) पृष्ठ 3, पंक्ति 39 से पंक्ति 41 **के स्थान पर,** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:-

"3. कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करेगा:

परन्तु किसी ऐसे होटल में जिसमें 30 कमरे हों या किसी रेस्तरां में जिसमें 30 या अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता हो और वायुपत्तनों पर धूम्रपान क्षेत्र या स्थान की अलग से व्यवस्था की जा सकेगी।"।

The question was put and the motion was adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 4, there is one amendment (No. 10) by Shrimati Sushma Swaraj.

खण्ड 4 - तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन का प्रतिषेध

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि:

(10) पृष्ठ 4, पंक्ति 1, पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, "सिगरेटों और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन का प्रतिषेध।" प्रतिस्थापित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Clause 5, there is one amendment (No. 11) by Shrimati Sushma Swaraj.

खण्ड 5 - अठारह वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों के लिए सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद के विक्रय पर प्रतिषेध

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि:

(11) पृष्ठ 4, खंड 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"5. कोई व्यक्ति-

(क) ऐसे किसी व्यक्ति को जो 18 वर्ष से कम आयु का है; और

(ख) किसी शैक्षिक संस्था की एक सौ गज की परिधि के भीतर किसी स्थान पर, सिगरेट या किन्हीं अन्य तम्बाकू उत्पादों का विक्रय करने की प्रस्थापना या विक्रय करने की अनुमति नहीं देगा।"।

The question was put and the motion was adopted.

Clause 5, as amended, was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Clause 6, there are two amendments (No. 12 and 13) by Shrimati Sushma Swaraj.

खण्ड 6 - सिगरेटों या अन्य तंबाकू उत्पादों के व्यापार और वाणिज्य तथा उनके उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर निर्बन्धन

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि:

(12) पृष्ठ 4, पंक्ति 38 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:-

"है या वितरित किया गया है, विनिर्दिष्ट चेतावनी नहीं है जिसके अंतर्गत खोपड़ी और हड्डियों के क्रास का तस्वीर चित्रण और ऐसी अन्य चेतावनियां भी हैं जो विहित की जाएं।"।

(13) पृष्ठ 5, पंक्ति 11 से पंक्ति 14 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(5) कोई भी व्यक्ति सिगरेटों या किन्हीं अन्य तम्बाकू उत्पादों का प्रत्यक्षत: या परोक्षत: उत्पादन प्रदाय या वितरण तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके द्वारा उत्पादित, प्रदाय की गई या

वितरित, यथास्थिति, सिगरेटों या किन्हीं अन्य तम्बाकू उत्पादों के प्रत्येक पैकेट पर या उसके लेबल पर प्रत्येक सिगरेटों या अन्य तम्बाकू उत्पाद निकोटीन और टार अंतर्वस्तु को तथा उसकी अधिकतम अनुज्ञेय सीमा को उपदर्शित न किया गया हो:

परन्तु निकोटिन और टार अंतर्वस्तुएं उसकी अधिकतम अनुज्ञेय मात्रा से, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं, अधिक नहीं होंगी।''।

The questions were put and the motion was adopted.

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 7, there are two amendments (No. 14 and 15) by Shrimati Sushma Swaraj.

खण्ड 7 - वह रीति जिसमें विनिर्दिष्ट चेतावनी दी जाएगी

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि:

(14) पृष्ठ 5 पंक्ति 24, ''या तंबाकू उत्पाद'' के स्थान पर, ''सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों'' प्रतिस्थापित किया जाए।

(15) पृष्ठ 5, पंक्ति 27, ''तंबाकू उत्पादों'' के स्थान पर, ''सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों'' प्रतिस्थापित किया जाए।

The questions were put and the motion was adopted.

Clause 7, as amended, was added to the Bill.

Clause 8 was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Clause 9, there is one amendment (No. 16) by Shrimati Sushma Swaraj.

खण्ड 9 - अक्षरों और अंकों का आकार

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि:

(16) पृष्ठ 6, पंक्ति 6, ''सिगरेट में'' के स्थान पर, ''सिगरेटों और किन्हीं अन्य तम्बाकू उत्पादों में'' प्रतिस्थापित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

Clause 9, as amended, was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 10, there is one amendment (No. 17) by Shrimati Sushma Swaraj.

खण्ड 10 - निकोटीन और टार अंतर्वस्तु के लिए परीक्षण प्रयोगशाला

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि:

(17) पृष्ठ 6, पंक्ति 10, "सिगरेटों में" के स्थान पर, "सिगरेटों और किन्हीं अन्य तम्बाकू उत्पादों में" प्रतिस्थापित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

Clause 10, as amended, was added to the Bill.

Clause 11 to 13 were added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment to Clause 14 by Shrimati Sushma Swaraj.

खण्ड 14 - अधिहरण के बदले लागत का संदाय करने का विकल्प देने की शक्ति

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि:

(18) पृष्ठ 7, पंक्ति 15 से 21 तक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(2) न्यायालय द्वारा आदेशित खर्चे के संदाय पर, अभिगृहीत पैकेज उस व्यक्ति को इस शर्त पर वापिस कर दिए जाएंगे जिनसे वे अभिगृहीत किए गए थे, कि ऐसा व्यक्ति सिगरेटों या अन्य तंबाकू उत्पादों के कोई वितरण विक्रय या प्रदाय करने से पूर्व ऐसे प्रत्येक पैकेज पर विनिर्दिष्ट चेतावनी और निकोटीन और टार अंतर्वस्तु का उपदर्शन सम्मिलित कराएगा।"

The question was put and the motion was adopted.

Clause 14 was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment in respect of Clause-15 by Shrimati Sushma Swaraj.

खण्ड 15 - शास्ति संदाय करने का दायित्व

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं प्रस्ताव करती हूं कि-

19. पृष्ठ 7, खण्ड 15 का लोप किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are two amendments to Clause16 by Shrimati Sushma Swaraj.

खण्ड 16 - अधिहरण या शास्ति का अन्य दंडों में बाधा न होना

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि-

20. पृष्ठ 7, पंक्ति 32, पार्श्वशीर्ष में, "या शास्ति" का लोप किया जाए।

21. पृष्ठ 7, पंक्ति 33, "या अधिरोपित शास्ति" का लोप किया जाए।

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 16, as amended, was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are three amendments to Clause-17 by Shrimati Sushma Swaraj.

खण्ड 17 - न्यायनिर्णयन

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि-

22. पृष्ठ 7, खण्ड 37, "या शास्ति" का लोप किया जाए।

23. पृष्ठ 7, पंक्ति 39 और 40 "यथास्थिति, ऐसा अधिहरण किया गया है, लागत संदत्त किए जाने का आदेश किया गया है या शास्ति अधिरोपित की गई" के स्थान पर, "ऐसा अधिहरण किया गया है या लागत संदत्त किए जाने का आदेश किया गया है" प्रतिस्थापित किया जाए।

24. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 17, as amended, was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are two amendments to Clause-18 by Shrimati Sushma Swaraj.

खण्ड 18 - अभिग्रहण किए गए पैकेजों के स्वामी को अवसर देना

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं प्रस्ताव करती हूं कि-

25. पृष्ठ 8, पंक्ति 5 और पंक्ति 6, "या शास्ति अधिरोपित करने" का लोप किया जाए।

26. पृष्ठ 8, पंक्ति 9, "या उसमें वर्णित शास्ति के अधिरोपण" का लोप किया जाए।

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 18, as amended, was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are two amendments to Clause-19 by Shrimati Sushma Swaraj.

खण्ड 19 - अपील

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि-

27. पृष्ठ 8, पंक्ति 19 और पंक्ति 20, "या शास्ति अधिरोपित करने वाले" का लोप किया जाए।

28. पृष्ठ 8, पंक्ति 27 "शास्ति या" का लोप किया जाए।

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 19, as amended, was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment to Clause-20 by Shrimati Sushma Swaraj.

खण्ड 20 - विनिर्दिष्ट चेतावनी देने और निकोटीन तथा टार अंतर्वस्तु का उपदर्शन करने में असफल रहने पर दंड

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि-

29. पृष्ठ 8, पंक्ति 32 से पंक्ति 42 और पृष्ठ 9, पंक्ति 1 और 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"20(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी सिगरेटों या तम्बाकू उत्पादों का उत्पादन या विनिर्माण करेगा जिन पर या तो पैकेज पर या उनके लेबलों पर विनिर्दिष्ट चेतावनी और निकोटीन और टार अंतर्वस्तु नहीं दी गई है, प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, तथा द्वितीय और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी सिगरेटों या तम्बाकू उत्पादों का विक्रय या वितरण करेगा जिन पर या तो पैकेज पर या उनके लेबलों पर विनिर्दिष्ट चेतावनी और निकोटीन तथा टार अंतर्वस्तु नहीं दी गई है, प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।"

The question was put and the motion was adopted.

Clause 20, as amended, was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment to Clause-21 by Shrimati Sushma Swaraj.

खण्ड 21 - कतिपय स्थानों में धूम्रपान के लिए दंड

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि-

30. पृष्ठ 9, पंक्ति 3, "धारा 3" के स्थान पर, "धारा 4" प्रतिस्थापित किया जाए।

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 21, as amended, was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment to Clause-22 by Shrimati Sushma Swaraj.

खण्ड 22 - तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन के लिए दंड

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि-

31. पृष्ठ 9, पंक्ति 7 से पंक्ति 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"22. जो कोई धारा 5 के उपबंध का उल्लंघन करेगा तो वह दोषसिद्धि पर,-

(क) प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हज़ार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, और

(ख) द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगा,

दंडनीय होगा"।

The question was put and the motion was adopted.

Clause 22, as amended, was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are two amendments to Clause-23 by Shrimati Sushma Swaraj.

खण्ड 23 - विज्ञापन और विज्ञापन सामग्री का समपहरण

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि-

32. पृष्ठ 9, पंक्ति 14, ''धारा 4'' **के स्थान पर,** ''धारा 5'' **प्रतिस्थापित किया जाए।**

33. पृष्ठ 9, पंक्ति 15, ''तंबाकू उत्पादों'' **के स्थान पर,** ''सिगरेटों और अन्य तंबाकू उत्पादों'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

Clause 23, as amended, was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause 24. There is one amendment (No. 34) by Shrimati Sushma Swaraj.

खण्ड 24 - कतिपय स्थानों में अट्ठारह वर्ष से कम आये के व्यक्तियों को सिगरेटों या किसी अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय के लिए दंड।

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि:

34. पृष्ठ 9, पंक्ति 18, ''धारा 5'' **के स्थान पर,** ''धारा 6'' **प्रतिस्थापित किया जाए।**

The question was put and the motion was adopted.

Clause 24, as amended, was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause 25. There are six amendments (Nos. 35 to 40) by Shrimati Sushma Swaraj.

खंड 25-धारा 3 और धारा 5 के अधीन अपराधों के निवारण, निरोध और विचारण का स्थान।

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि:

35. पृष्ठ 9, पंक्ति 22, पार्श्वशीर्ष में ''धारा 3 और धारा 5'' **के स्थान पर,** ''धारा 4 और धारा 6'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

36. पंक्ति 26, ''धारा 3 या धारा 5'' **के स्थान पर,** ''धारा 4 और धारा 5'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

37. पंक्ति 30 से पंक्ति 33 का लोप किया जाए।

38. पंक्ति 34 और पंक्ति 35, ''या उपधारा (2) के अधीन गिरफ्तार किए गए'' का लोप किया जाए।

39. पंक्ति 37 ''धारा 3 या धारा 5'' के स्थान पर, ''धारा 4 या धारा 6'' प्रतिस्थापित किया जाए।

40. पृष्ठ 10, पंक्ति 1, ''(4)'' के स्थान पर, ''(3)'' प्रतिस्थापित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

Clause 25, as amended, was added to the Bill.

Clause 26 was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause 27. There are two amendments (No. 41 and No. 42) by Shrimati Sushma Swaraj.

खंड 27 - अपराध का संज्ञेय और जमानतीय होना

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि:

41. पृष्ठ 10, पंक्ति 24 और पंक्ति 25 और पार्श्वशीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

''27. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध जमानतीय होगा''।

42. पृष्ठ 10 पंक्ति 26, और पंक्ति 27 का लोप किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

Clause 27, as amended, was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clasue 28. There is one amendment (No. 43) by Shrimati Sushma Swaraj.

खंड 28 - अपराधों की संरचना

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि:

43. पृष्ठ 10, पंक्ति 28, ''धारा 3 या धारा 5'' के स्थान पर, ''धारा 4 या धारा 6'' प्रतिस्थापित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

Clause 28, as amended, was added to the Bill.

Clauses 29 and 30 were added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clasue 31. There are seven amendments (Nos. 44 to 50) by Shrimati Sushma Swaraj.

खंड 31 - नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि:

44. पंक्ति 5 और पंक्ति 6, ''धारा 2 के खंड (ण) के अधीन सिगरेटें'' के स्थान पर, ''धारा 3 के खंड (ण) के अधीन सिगरेटें या अन्य तम्बाकू उत्पादों'' प्रतिस्थापित किया जाए।

45. पंक्ति 7 ''सिगरेटों में'' के स्थान पर, ''सिगरेटें या अन्य तम्बाकू उत्पादों में'' प्रतिस्थापित किया जाए।

46. पंक्ति 7 ''धारा 6'' के स्थान पर, ''धारा 7'' प्रतिस्थापित किया जाए।

47. पंक्ति 9 और पंक्ति 10 ''धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन सिगरेटों'' के स्थान पर, ''धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन सिगरेटें या अन्य तम्बाकू उत्पादों प्रतिस्थापित किया जाए।

48. पंक्ति 11 ''धारा 9 के अधीन विनिर्दिष्ट चेतावनी या सिगरेटों में के स्थान पर, ''धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट चेतावनी या अन्य तंबाकू उपादों में प्रतिस्थापित किया जाए।

49. पंक्ति 15 ''सिगरेटों के'' के स्थान पर, ''सिगरेटें या अन्य तंबाकू उत्पादों के'' प्रतिस्थापित किया जाए।

50. पंक्ति 17 ''सिगरेटों का'' के स्थान पर, ''सिगरेटें या अन्य तंबाकू उत्पादों का'' प्रतिस्थापित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

Clause 31, as amended, was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause 32. There are two amendments (No. 51 and No. 52) by Shrimati Sushma Swaraj.

खंड 32 - नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि:

51. पृष्ठ 11, पंक्ति 30 से पंक्ति 41 का लोप किया जाए।

52. पृष्ठ 12, पंक्ति 1 से पंक्ति 7 का लोप किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

Clause 32, as amended, was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause 33. There are two amendments (No. 53 and 54) by Shrimati Sushma Swaraj.

खंड 33 - ऐसी सिगरेटों के अधिनियम का लागू न होना जिनका निर्यात किया जाता है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि:

53. पृष्ठ 12, पंक्ति 8 पार्श्वशीर्ष में, ''ऐसी सिगरेटों'' **के स्थान पर,** ''ऐसी सिगरेटों या अन्य तंबाकू उत्पादों'' **प्रतिस्थापित किया जाए।**

54. खंड 33 में सभी स्थानों पर ''सिगरेटों'' **के स्थान पर,** ''सिगरेटों या अन्य तंबाकू उत्पादों'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

Clause 33, as amended, was added to the Bill.

Clause 34 was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up the Schedule. There is one amendment (No. 55) by Shrimati Sushma Swaraj.

अनुसूची

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि:

55. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

The question was put and the motion was adopted.

The Schedule, as amended, was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause 1. There are three amendments (No. 3, No. 4 and No. 5) by Shrimati Sushma Swaraj.

खंड 1 - संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि:

3. पृष्ठ 2, पंक्ति 8, ''2001'' के स्थान पर, ''2003'' प्रतिस्थापित किया जाए।

4. पृष्ठ 2, पंक्ति 9 से पंक्ति 15 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:-

''(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।''

5. पृष्ठ 2, पंक्ति 16 से पंक्ति 23 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

''(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे; और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।''

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

CLAUSE 1A—Declaration as to expediency of control by the Union

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one new Clause 1A.

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि:

6. पृष्ठ 2, पंक्ति 23 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

''1 क. - यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि संघ सरकार को तम्बाकू उद्योग को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए।''

The question was put and the motion was adopted

Clause 1A was added to the Bill.

Enacting Formula

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment by Shrimati Sushma Swaraj.

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि:

2. पृष्ठ 2, पंक्ति 5, ''बावनवें'' के स्थान पर ''चौवनवें'' प्रतिस्थापित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

Preamble

The Deputy Chairman: There is one amendment by Shrimati Sushma Swaraj.

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि:

पृष्ठ 1, वर्तमान उद्देशिका के स्थान पर निम्नलिखित उद्देशिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

''39वीं विश्व स्वास्थ्य सभा (डब्ल्यू एच ओ) द्वारा 15 मई, 1986 को हुए अपने चौदहवें पूर्ण अधिवेशन में पारित संकल्प में डब्ल्यूएचओ के उन सदस्यों राज्यों से, जिन्होंने उपायों को कार्यान्वित करने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि धूम्रपान न करने वालों को तम्बाकू के धुएं से अनचाहे प्रभाव से बचने के लिए और तम्बाकू के उपयोग के व्यसनी बनने से बच्चों और युवाओं को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, अनुरोध किया गया था;

और 43वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने 17 मई, 1990 को हुए अपने चौदहवें पूर्ण अधिवेशन में 39वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में पारित संकल्प में व्यक्त की गई चिंताओं को दोहराया और सदस्य राज्यों से उनकी तम्बाकू नियंत्रण रणनीति योजना में विधान के लिए विचार करने हेतु और अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए जोखिम समूहों की ओर जैसे कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर तम्बाकू के धुएं से अनचाहे प्रभाव से जोखिम की ओर विशेष ध्यान देने, तम्बाकू के उपयोग को हतोत्साहित करने तथा प्रगतिशील निर्बंधन अधिरोपित करने तथा तम्बाकू से संबंधित सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों, संवर्धन और प्रायोजन को कम करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया;

और लोकहित में तथा लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के लिए तम्बाकू के बारे में एक व्यापक विधि अधिनियमित करना समीचीन समझा गया है;

और साधारणतया लोक स्वास्थ्य में सुधार को प्राप्त करने की दृष्टि से, जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 47 में दिया गया है, सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के उपभोग को, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, प्रतिषिद्ध करना समीचीन है;

और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन को प्रतिषिद्ध करना और उनमें व्यापार

तथा वाणिज्य, उनके उत्पादन, प्रदाय और वितरण के विनियमन के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना समीचीन है।''

The question was put and the motion was adopted.

Preamble, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि संशोधित रूप में विधेयक पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

STATEMENT BY MINISTER

Outbreak of Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) in some countries and the steps taken by Government of India

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): उपसभापति महोदया, संसदीय इतिहास में इतने ज्यादा संशोधन आए हैं कि मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं आज से संशोधन मंत्री के रूप में भी जानी जाएं।

उपसभापति: मैं तो यह कहूंगी कि मेरे गले के लिए कोई दवा भेज दें। Now there is a statement.

स्टेटमेंट आप करेंगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अगर सदन तैयार हो तो मैं तैयार हूं।

उपसभापति: ऐसा कीजिए कि आप स्टेटमेंट सदन के पटल पर रख दीजिए। आपने तो सब कार्रवाई कर ही ली है। उस पर हम लोगों को संतोष है। संतोष बागड़ोदिया जी को भी संतोष हो जाए तो ठीक है।

श्री संतोष बागड़ोदिया (राजस्थान): अगर स्टेटमेंट ठीक होगी।

उपसभापति: हो जाएगा। अच्छा ही होगा। इतना अच्छा बिल आया है वह तो बँटवा दीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैडम, रखूं क्या?